



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251594
CG-DL-E-24012024-251594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945

No. 59]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

संख्या 7/2024 – सीमा शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 65(अ).—जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 फरवरी 2022 की अधिसूचना 11/2022-सीमा शुल्क (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन वाले पहनने योग्य माल, जो उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उप-शीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, को भारत में आयात किए जाने पर, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सीमा शुल्क से जितना उक्त अधिसूचना की उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट दी गई थी;

और जबकि, दिनांक 1 फरवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 11/2022-सीमा शुल्क को दिनांक 27 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा उसमें यह परंतुक अंतर्विष्ट किया गया था "परंतु यह कि उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित माल के संबंधित विवरण के सामने स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर तब भी लागू होगी जब ऐसे माल को इस तरह से एक साथ प्रस्तुत किया जाता है कि स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संबंधित शर्तों के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू हो";

और जबकि, केंद्र सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त माल को जब इस तरह से आयात किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू होता है, तो उस पर शुल्क के उद्ग्रहण (उस पर गैर-उद्ग्रहण सहित) के बारे में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार उक्त माल दिनांक 1 फरवरी, 2022 की उक्त अधिसूचना 11/2022-सीमा शुल्क के अधीन 1 फरवरी, 2022 को और उससे शुरू होकर 27 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान शुल्क उद्ग्रहीत और संगृहीत किए बिना आयात किए जा रहे थे।

अब, अतः, केंद्र सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि ऐसे माल पर संदेय संपूर्ण सीमा शुल्क या, जैसा भी मामला हो, 1 फरवरी, 2022 से 27 अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान ऐसे माल को जब इस तरह से आयात किया गया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू होता है, तो उस पर संदेय से अधिक शुल्क, उक्त प्रथा के सिवाय, दिनांक 1 फरवरी, 2022 की अधिसूचना 11/2022-सीमा शुल्क के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन वाले ऐसे पहनने योग्य माल के आयात के संबंध में संदत्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 450/139/2023-सीमा शुल्क IV]

संजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

Notification No. 7/2024 – Customs (N.T.)

G.S.R. 65(E).—WHEREAS wearable goods of the description as specified in column (3) of Notification 11/2022-Customs dated 1st February 2022 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (hereinafter referred to as the said notification), falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in the corresponding entry in column (2) of the table of the said Notification, when imported into India, were exempted from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table of the said notification;

AND WHEREAS, the Notification No. 11/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was amended by the Notification No. 33/2023-Customs, dated the 27th April, 2023, by inserting a proviso therein, as "Provided that the rate of duty specified in Column (4) against the respective description of goods mentioned in Column (3) of the Table above shall apply even when such goods are presented together in a manner so as to attract the provision of rule 2(a)

of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, subject to the respective conditions specified in column (5)";

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that according to the practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof) on the said goods when imported in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), were being imported without the duty being levied or collected during the period commencing on and from 1st February, 2022 and ending to 27th April, 2023 under the said Notification 11/2022-Customs dated the 1st February, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government hereby directs that whole of the duty of customs payable on such goods or, as the case may be, the duty in excess of that payable on such goods, during the period from the 1st February, 2022 to 27th April 2023, when imported in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of import of such wearable goods of the description as specified in column (3) of Notification 11/2022-Customs dated 1st February 2022.

[F. No. 450/139/2023-Cus IV]

SANJEET KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

संख्या 8/2024 – सीमा शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 66(अ).—जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 फरवरी 2022 की अधिसूचना 12/2022-सीमा शुल्क (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन वाले सुनने योग्य माल, जो उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उप-शीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, को भारत में आयात किए जाने पर, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सीमा शुल्क से जितना उक्त अधिसूचना की उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट दी गई थी;

और जबकि, दिनांक 1 फरवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 12/2022-सीमा शुल्क को दिनांक 27 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा उसमें यह परंतुक अंतर्विष्ट किया गया था "परंतु यह कि उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित माल के संबंधित विवरण के सामने स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर तब भी लागू होगी जब ऐसे माल को इस तरह से एक साथ प्रस्तुत किया जाता है कि स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट संबंधित शर्तों के अध्याधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू हो";

और जबकि, केंद्र सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त माल को जब इस तरह से आयात किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू होता है, तो उस पर शुल्क के उद्बहण (उस पर गैर-उद्बहण सहित) के बारे में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार उक्त माल दिनांक 1 फरवरी, 2022 की उक्त अधिसूचना 12/2022-सीमा शुल्क के अधीन 1 फरवरी, 2022 को और उससे शुरू होकर 27 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किए बिना आयात किए जा रहे थे।

अब, अतः, केंद्र सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि ऐसे माल पर संदेय संपूर्ण सीमा शुल्क या, जैसा भी मामला हो, 1 फरवरी, 2022 से 27 अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान ऐसे माल को जब इस तरह से आयात किया गया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) का उपबंध लागू होता है, तो उस पर संदेय से अधिक शुल्क, उक्त प्रथा के सिवाय, दिनांक 1 फरवरी, 2022 की अधिसूचना 12/2022-सीमा शुल्क के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन वाले ऐसे सुनने योग्य माल के आयात के संबंध में संदत्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 450/139/2023-सीमा शुल्क IV]

संजीत कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

Notification No. 8/2024 – Customs (N.T.)

G.S.R. 66(E).—WHEREAS hearable goods of the description as specified in column (3) of Notification 12/2022-Customs dated 1st February 2022 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (hereinafter referred to as the said notification), falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in the corresponding entry in column (2) of the table of the said Notification, when imported into India, were exempted from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table of the said notification;

AND WHEREAS, the Notification No. 12/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was amended by the Notification 33/2023-Customs, dated the 27th April, 2023 by inserting a proviso therein, as “*Provided that the rate of duty specified in Column (4) against the respective description of goods mentioned in Column (3) of the Table above shall apply even when such goods are presented together in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, subject to the respective conditions specified in column (5)*”;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that according to the practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof) on the said goods when imported in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), were being imported without the duty being levied or collected during the period commencing on and from 1st February, 2022 and ending to 27th April, 2023 under the said Notification 12/2022-Customs dated the 1st February, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government hereby directs that whole of the duty of customs payable on such goods or, as the case may be, the duty in excess of that payable on such goods, during the period from the 1st February, 2022 to 27th April 2023, when imported in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of import of such hearable goods of the description as specified in column (3) of Notification 12/2022-Customs dated 1st February 2022.

[F. No. 450/139/2023-Cus IV]

SANJEET KUMAR, Under Secy.